राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल

प्रलिम्सि के लयि:

भारत नरि्वाचन आयोग, राष्ट्रीय और राज्य दलों की घोषणा, पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दल, जनप्रतनिधित्वि अधनियिम 1951

मेन्स के लयि:

राजनीतकि दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय के रूप में मान्यता देने की प्रक्रयिा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात चुनाव के परणिाम के बाद **आम आदमी पार्टी** भारत की **9वीं राष्ट्रीय पार्टी** बन गई, जहाँ उसे कुल वोट का लगभग 13% प्राप्त हुआ।

- **पहले आम चुनाव (1952) के समय भारत में 14 राष्ट्रीय दल** थे।

नोट:

- भारत नरि्वाचन आयोग (ECI) चुनाव के उद्देश्य से राजनीतकि दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
- अन्य दलों को केवल पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दलों के रूप में घोषति कयिा जाता है।
  - जनप्रतनिधित्वि अधनियिम 1951 के अनुसार पंजीकृत राजनीतकि दल समय के साथ **'राज्य दल' या 'राष्ट्रीय दल'** के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय दल (National Party):

- **परचिय:** जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी एक क्षेत्रीय दल के वपिरीत राष्ट्रव्यापी उपस्थति होती है, जो केवल एक वशिष राज्य या क्षेत्र तक ही सीमति नहीं है।
  - एक नश्चिति कद राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ा होता है, लेकनि यह जरूरी नहीं कि उसका बहुत अधकि राष्ट्रीय राजनीतकि प्रभाव हो।
- **कसिी पार्टी को 'राष्ट्रीय' घोषति करने की शर्तें:**
  - ECI की राजनीतकि दल और चुनाव चह्नि, 2019 पुस्तकिा के अनुसार, एक राजनीतकि दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि:
    - यह **चार या अधकि राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में 'मान्यता प्राप्त'** हो; या
    - लोकसभा या राज्यों के वधिानसभा चुनावों में 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6 प्रतशित मत प्राप्त करे तथा इसके अतरिक्ति 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या
    - यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो।

कसिी दल को राज्य स्तरीय दल कैसे घोषति कयिा जाता है?

- कसिी दल को कसिी राज्य में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है **यदि नम्नि में से कोई भी शर्त पूरी होती है:**
  - यदि यह संबंधति राज्य वधिान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए **वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य वधिान सभा में 2 सीटें जीतता है।**
  - यदि यह लोकसभा के आम चुनाव में **राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता** है और साथ ही यह **उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है।**

- यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में **विधान सभा में 3% सीटें** जीतता है या विधानसभा में **3 सीटें (जो भी अधिक हो)** जीतता है।
- यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिये **लोकसभा में 1 सीट जीतती** है।
- यदि यह राज्य या राज्य **विधान सभा के लिये लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता** है।

राष्ट्रीय/राज्य घोषित किये जाने के महत्त्व

- **आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिये कुछ विशेषाधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिह्न का आवंटन, राज्य नियंत्रण, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण** हेतु समय का उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों**को प्राप्त करने की सुविधा।**
- इन दलों को चुनाव के समय **40 "स्टार प्रचारक" (पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दलों को 20 "स्टार प्रचारक"** रखने की अनुमति है) रखने की अनुमति है।
- प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक **चुनाव चिह्न प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में विशिष्टतः उसी के लिये** आरक्षित होता है। **यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहाँ वह चुनाव नहीं लड़** रही है।
- एक राज्य दल के लिये आवंटित चुनाव चिह्न विशेष रूप से उस राज्य/राज्यों में इसके उपयोग के लिये आरक्षित है जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-and-state-parties